

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3894

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृति आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान

3894. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों, विशेष कर श्रावस्ती और बलरामपुर के महत्वाकांक्षी जिलों में बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो उपरोक्त आपदाओं के मद्देनजर प्रभावित किसानों को अब तक कितनी राशि संवितरित की गई है और तत्संबंधी वर्ष-वार और आपदा-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन वर्षों के लिए सभी पात्र और प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है;
- (घ) यदि नहीं, तो कितने किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ.) सरकार द्वारा इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) (से) ड. : (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना) एनडीएमपी (के अनुसार, क्षति का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार) जीओआई (के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके पास पहले से उपलब्ध अपने राज्य आपदा मोचन कोष) एसडीआरएफ (से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष) एनडीआरएफ (से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम) आईएमसीटी (के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, मुआवजे के लिए नहीं।

विभिन्न आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान, प्रभावित किसानों तथा एसडीआरएफ से प्रभावित किसानों को वितरित की गई राशि का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों, लाभान्वित किसानों और भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

ज़िला	2022-23			2023-24			2024-25		
	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे
	(संख्या)		(रुपये करोड़ में)	(संख्या)		(रुपये करोड़ में)	(संख्या)		(रुपये करोड़ में)
बलरामपुर	30,372	15,730	13.19	21,408	2,870	1.09	43,342	3,671	0.83
श्रावस्ती	47,303	17,245	19.05	79,106	1,270	0.23	1,33,696	288	0.13
कुल	77,675	32,975	32.24	1,00,514	4,140	1.32	1,77,038	3,959	0.96

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल क्षति का विवरण।

2022-23						
ज़िला	आपदा की प्रकृति	प्रभावित किसान (. सं)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभान्वित किसानों की सं.	फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)	अन्य
बलरामपुर	बाढ़	42109	12402.6 764	42109	2242.92	0
श्रावस्ती	बाढ़	84020	19195.5 373	84020	2516.67 543	0
कुल		126129	31598.2 1	126129	4759.59 5	0

2023-24						
ज़िला	आपदा की प्रकृति	प्रभावित किसान (. सं)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभान्वित किसानों की सं.	फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)	अन्य
बलरामपुर	0	0	0	0	0	0
श्रावस्ती	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0

2024-25						
ज़िला	आपदा की प्रकृति	प्रभावित किसान (. सं)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभान्वित किसानों की सं.	फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)	अन्य
बलरामपुर	बाढ़	1225	231.3801	1225	90.18	0
श्रावस्ती	बाढ़	1406	603.5621	1406	64.68221	0
कुल		2631	834.9422	2631	154.8622	0

स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।
